# FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर**

राष्ट्रीय लोक अदालत 18/06/2015

नुलाल पुत्र कोरया बैरवा निवासी सिंगौरकलां तहसील खण्डार

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,बहरावण्डाकलां

दमा– अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि.1956 अपील संख्या 320/14

क्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,बहरावण्डाकलां द्वारा मिसल संख्या 819/12 मे पारित आदेश दिनांक 28/09/12 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सिगोरकलां के आराजी खसरा नम्बर 593 रकवा 0.06 बीघा किस्म गै.मु.तलाई पर संवत 2069 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने, फसल जब्त कर नीलामी के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर **प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखी गई।**

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अपीलार्थी को सुना तो उसने अवगत कराया कि अपीलार्थी ने अतिक्रमित आराजी से अपना कब्जा हटा लिया है। वर्तमान मे मोके पर कोई कब्जा काश्त नही है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय बिना जॉच किये हुए पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस मे तर्क दिया कि यद्यपि वकील अपीलाण्ट ने अतिक्रमित आराजी से अपना कब्जा हटा लेने को कहां है परन्तु सिविल कारावास की सजा को माफ किये जाने से पूर्व कब्जा हटा लेने बाबत जांच करवाया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट इस शर्त पर अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् अपील अपीलार्थी राजस्व लोक अदालत की भावना से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण नायब तहसीलदार,बहरावण्डाकला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्वंय मोके पर जाकर जॉच करे कि अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर वर्तमान फसल रबि मे कब्जा काश्त रहा है अथवा नही। यदि वाद जॉच अपीलार्थी का कब्जा काश्त नही हो तो अपीलाधीन निर्णय मे पारित सिविल करावास की सजा को निरस्त समझे अन्यथा स्थिति मे सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18/06/15 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कुंजबिहारी शर्मा)
सदस्य

(बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर